रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012021-224381
CG-DL-E-14012021-224381

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20] **नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 13, 2021/पौष 23, 1942**
No. 20] **NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 13, 2021/PAUSHA 23, 1942**

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2021

फा. सं. एफ.2-63/एफएसएसएआई/टीआर. कारबार एससी और एसपी/रजि./2020.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित प्रारूप, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (कारोबार का संव्यहार तथा वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल की प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2020, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं. फा॰ सं॰ एफ.2-63/एफएसएसएआई/टीआर. कारबार एससी और एसपी/रजि./2020, तारीख 27 अगस्त, 2020 द्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में प्रकाशित किया गया था जिसमें उन व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गयी थीं, साठ दिनों की अवधि की समाप्ती के पूर्व आक्षेप और सुझाव को आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 03 सितम्बर, 2020 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियमों के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अत: अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण उक्त अधिनियम की धारा 15 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

(कारोबार का संव्यहार तथा वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल की प्रक्रिया) विनियम, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

विनियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (कारोबार का संव्यहार तथा वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल की प्रक्रिया) पहला संशोधन विनियम, 2021 है।

   (2) ये राज्यपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (कारोबार का संव्यहार तथा वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल की प्रक्रिया) विनियम, 2016 में,-

   (क) विनियम 11 के उप- विनियम (1) में "एक-तिहाई" शब्दों के स्थान पर "दो-तिहाई" शब्द रखे जाएंगे।

   (ख) विनियम 12 के उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखे जाएंगे:-

"(1) वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनलों की बैठकों की प्रारूप कार्यसूची वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल के अध्यक्ष के परामर्श से सचिवालय द्वारा तैयार की जाएगी और बैठक के कम से कम दस कार्य दिवसों पूर्व सदस्यों को परिचालित की जाएगी।"।

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन III/4/असा./456/2020-21]

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यांक फा. सं. एफ 1-63/एफएसएसएआई/टी आर. कारबार एससी और एसपी/ रजि॰-2015, तारीख 2 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2021

F. No. F.2-63/FSSAI/Tr. Business SC and SP/Reg/2020.—Whereas the draft Food Safety and Standards Authority of India (Transaction of Business and Procedures for the Scientific Committee and Scientific Panels) Amendment Regulations, 2020 were published as required by sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), *vide* notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F.No.F.2-63/FSSAI/Tr.Business SC and SP/Reg/2020, dated the 27th August, 2020, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 3rd September, 2020;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 92 read with section 15 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations to amend the Food Safety and Standards Authority of India (Transaction of Business and Procedures for the Scientific Committee and Scientific Panels) Regulations, 2016, namely:-

Regulations

1. **Short title and commencement**.-(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards Authority of India (Transaction of Business and Procedures for the Scientific Committee and Scientific Panels) First Amendment Regulations, 2021.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards Authority of India (Transaction of Business and Procedures for the Scientific Committee and Scientific Panels) Regulations, 2016**,-**

   (a) in regulation 11, in sub-regulation (1), for the words "one third", the words "two third" shall be substituted;

   (b) in regulation 12, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

   "(1) The draft agenda of the meetings of the Scientific Committee or Scientific Panels shall be drawn up by the Secretariat in consultation with the Chairperson of the concerned Scientific Committee or Scientific Panel and circulated to members at least ten working days before the meeting.".

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./456/2020-21]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification number F. No. F.1-63/FSSAI/Tr. Business SC and SP/Reg/2015, dated the 2nd December, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.01.14 15:40:23 +05'30'